राजस्थान सरकार

आयुक्तालय
मिड–डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

क्रमांक एफ 4(220) प्रा0शि0 / एमडीएम / दिशा–निर्देश / 2013–14 / पार्ट–I / 601 जयपुर दिनांक : 20.08.2019

जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा
जिला समस्त।

विषय :– मिड–डे मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है। समस्त राजकीय विद्यालयों, जहॉ मिड डे मील योजना संचालित है, में भोजन की गुणवत्ता / स्वच्छता, मौसम जनित बीमारियों के प्रभावी रोकथाम, पेयजल हेतु सजगता एवं संवदेनशीलता के साथ निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

i. विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले मिड डे मील की स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि पोषाहार विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सुरक्षित है। गर्मी के मौसम एवं मानसून को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं पेयजल उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है ताकि दूषित भोजन एवं पेयजल के कारण मौसम जनित बीमारियों से बचा जा सके।

ii. योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करवाई जावे एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करवाया जावे।

iii. राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत भोजन से संबंधित सामग्री / उत्पाद, पानी की टंकियों, पाईप लाईनों एवं आदि की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से आगामी तीन दिवसों में विशेष जांच कराई जावे।

iv. योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पाबंद किया जावे कि वे परिसर की साफ–सफाई, पोषाहार की गुणवत्ता व स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल तथा पानी की टंकियों की साफ–सफाई की व्यवस्था स्वयं के स्तर से भी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

v. राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जावे, जिसमें विद्यालय में स्थापित रसोईघर, पेयजल की टंकियों एवं शौचालयों की नियमित साफ–सफाई का विवरण अंकित किया जावे।

vi. योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील में वितरित किये जाने वाले भोजन की जांच खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में समय–समय करवाया जावे तथा वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

vii. राजकीय विद्यालयों में रसोईघर, विद्यार्थियों का भोजन ग्रहण स्थल, पेयजल स्थल, शौचालयों की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे।

viii. विद्यार्थियों हेतु तैयार किया जाने वाला भोजन विद्यालय में स्थित रसोईघर में ही बनवाया जावे, अन्यत्र एवं खुले स्थान पर नहीं बनवाया जावे तथा तैयार भोजन को ढक कर रखा जावे एवं रसोईघर में विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित हो।

ix. मिड डे मील पकाने का पानी एवं विद्यार्थियों हेतु पीने का पानी ढका हुआ होना चाहिये, विद्यालय परिसर में जल स्त्रोत भी खुले नहीं रखे जावे, अगर विद्यालय के आस–पास खुले कुएं तथा जल के स्त्रोत हो तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनात ए.एन.एम एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा खुले कुएं, खुले जल स्त्रोतों में क्लोरिनेशन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

x. खाद्यान्न की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे। यदि विद्यालय में खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु किचन कम स्टोर की व्यवस्था न हो तो अतिशीघ्र किचन कम स्टोर का निर्माण करवाया जावे।

xi. खाद्यान्न को एक निश्चित ऊँचाई (कम से कम 6 इंच) के प्लेटफार्म पर दीवारों से दूर रखा जावे, खाद्यान्न जहां रखा जावे वहां वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे मानसून के समय पानी/नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न भण्डार गृह में किसी भी जीव–जन्तु का विचरण न हो। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टीसाईड या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए काम में आने वाला कोई भी रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जावे। खाद्यान्न एवं अन्य कोई सामान खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में पोषाहार पकाने के उपयोग में नहीं लिया जावे।

xii. पोषाहार पकाने में काम आने वाली खाद्य सामग्री (गेहूं, चावल, सब्जियां, तेल, मसाले इत्यादि) की साफ–सफाई सुनिश्चित की जावे। पोषाहार बनाने में प्रयुक्त होने वाले तेल, मसालों इत्यादि की अन्तिम उपयोग की तिथि की जांच की जाकर ही पोषाहार हेतु उपयोग लिया जावे। पोषाहार बनाने में उच्च गुणवत्तायुक्त दाल, तेल, अन्य वस्तुएं उपयोग में ली जावें।

xiii. पोषाहार जहाँ पकाया एवं परोसा जाता है वहां पूर्ण साफ–सफाई एवं रख–रखाव में स्वच्छता का ध्यान रखा जावे। पोषाहार पकाने एवं परोसने वाले बर्तनों की पूर्ण साफ–सफाई एवं रख–रखाव में स्वच्छता का ध्यान रखा जावे। पोषाहार समाप्ति के पश्चात् इन बर्तनों को भली प्रकार से साफ किया जाना चाहिए।

xiv. छात्र–छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ–सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जावे।

xv. विद्यार्थियों को पोषाहार का वितरण करने से पूर्व पोषाहार का नमूना विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में प्रतिदिन रखवाया जावे। प्रतिदिन विद्यालय प्रशासन द्वारा पोषाहार को चखकर उसकी गुणवत्ता जांची जावे कि विद्यार्थियों को परोसे जाने वाला पोषाहार विद्यार्थियों हेतु गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद ही विद्यार्थियों को वितरण किया जावे।

xvi. कुक कम हैल्पर्स का समय–समय पर मेडिकल चेक–अप आवश्यक रूप से करवाया जावें।

xvii. कुक कम हैल्पर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य बातों जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जावे।

xviii. मिड डे मील के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने या अन्य प्रकार की अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए विद्यालय में एम्बुलेन्स, चिकित्सालय, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन आदि की स्पष्ट जानकारी अंकित की जावे, ताकि आवश्यकता होने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।

राज्य में दिनांक 2.7.2018 से मिड–डे मील योजनान्तर्गत **''अन्नपूर्णा दूध योजना''** लागू की गयी है जिसके तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिवस उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म व ताजा दूध वितरित किये जाने का प्रावधान है। अन्नपूर्णा दूध योजना के सुव्यवस्थित एवं सफल कियान्वयन के लिए निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें :–

i. विद्यार्थियों को दूध प्रतिदिन प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात प्रार्थना स्थल पर ही दिया जावे जिससे मध्यान्ह भोजन व दूध पीने के समय में अन्तर रह सके।

ii. **''अन्नपूर्णा दूध योजना''** के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को दूध उबालकर ही वितरित किया जावे।

iii. क्रय किये गये दूध की जॉच लेक्टोमीटर से की जायेगी। लेक्टोमीटर बाजार में केमिकल एवं ग्लासवेयर की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड–डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

---

iv. विद्यार्थियो को दूध पिलाये जाने से पूर्व प्रतिदिन 1 अध्यापक व 1 विद्यार्थी के अभिभावक / एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा पोषाहार की भॉति दूध चखा जायेगा तथा इसका रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।

v. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि क्रय किये गये दूध में यूरिया, स्टॉर्च, या अन्य कोई रसायन मिला नहीं हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं सहकारी डेयरी के अधिकारियों से दूध की गुणवत्ता की जॉच करवाई जानी आवश्यक होगी। सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुणवत्ता की जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

vi. यह सुनिश्चित किया जावे कि दूध वितरण हेतु आवश्यक बरतन (भगोना, टंकी, गिलास, आदि) धुले हुए एवं पूर्णतया स्वच्छ हो तथा दूध को छानकर ही उपयोग में लिया जावे।

vii. दूध वितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायें कि उसका तापमान कम हो ताकि दूध के छात्रों के शरीर पर गिरने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हों।

viii. दूध वितरित करते समय किसी अनहोनी घटना , छात्र के जलने अथवा दूध पीने के पश्चात छात्र की तबीयत बिगडने की स्थिति में तुरन्त छात्र को निकटवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर उचित उपचार करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

ix. दूध को ढक कर रखा जावे ताकि बरसाती कीट–पतंगे एवं जहरीले जीव–जन्तु के गिरने की सम्भावना नही हो।

x. अन्नपूर्णा दूध योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही दूध वितरण किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अलावा स्थानीय स्थिति के अनुसार आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करावें।

भवदीय

अति.आयुक्त,(वित्त)
मिड डे मील

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य भव[illegible] [illegible] सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीका[illegible]
5. जिला कलक्टर, समस्त जिला
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला समस्[illegible]
7. जिला रसद अधिकारी, जिला समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

शिक्षा विभाग समाचार
राजस्थान

उपायुक्त (क्रिया.एवं मोनि.)
मिड डे मील

पता :– प्रशासनिक भवन, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, सम्पर्क : 0141 – 2701960, 2701694 (टेली / फैक्स),
ई–मेल mdm-rj@nic.in./rajmdm@rediffmail.com